कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आवश्यक सूचना

सहकारी समितियों का वैधानिक दायित्व

सहकारी समितियों के बोर्ड के पदाधिकारी/पदधारी ध्यान दें

राज्य की प्रत्येक सहकारी समिति, जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित है, के बोर्ड का यह दायित्व है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक समिति का सांविधिक अंकेक्षण कराकर, उसे वार्षिक आम सभा से अनुमोदन के उपरान्त निबंधक के समक्ष वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना सुनिश्चित करे।

क्र०	वैधानिक दायित्व	संबंधित प्रावधान की सुसंगत धारा		अन्तिम तिथि
		अधिनियम, 1935	अधिनियम, 1996	
1.	लेखाओं के अंकेक्षण हेतु वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार कर अंकेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना	33	33	15 अप्रैल तक।
2.	लेखाओं का अंकेक्षण	33	33	30 सितम्बर के भीतर।
3.	वार्षिक आम सभा आहूत किया जाना	32क	25	30 सितम्बर के भीतर।
4.	वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना	32ख	35	30 सितम्बर के भीतर।

समितियों द्वारा उपर्युक्त दायित्वो का ससमय अनुपालन अपेक्षित है।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय बेवसाईट www.cooperative.bih.nic.in या निकटवर्त्ती सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय से सम्पर्क करें।

Hauy

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना